न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 43/2024
3. उनवान :

1. मदन लाल पुत्र जीवण लाल जाति स्वामी निवासी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण।
2. मोहन लाल पुत्र जीवणदास (मृतक दौराने अपील)
   2/1. प्रेम देवी पत्नी मोहन लाल स्वामी
   2/2. महेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र मोहन लाल स्वामी
   2/3 हितेश कुमार स्वामी पुत्र मोहन लाल स्वामी
   2/4 निलेश कुमार स्वामी पुत्र मोहन लाल स्वामी
   समस्त जाति स्वामी निवासी बेगोलाई की ढाणी, ग्राम बधाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र श्योबक्स
2. बीरबल पुत्र श्योबक्स
3. कैलाश पुत्र श्योबक्स
4. अशोक पुत्र श्योबक्स
5. केशव पुत्र लक्ष्मण
6. जैसाराम दत्तक पुत्र बालाबक्श

   समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण ।

—मुख्य रेस्पोडेन्ट

7. चन्द्र शेखर पुत्र मदन लाल जाति स्वामी निवासी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 15/04/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बनवारी लाल शर्मा अपीलांट्स की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष खसरा नम्बर 820 में प्रार्थी द्वारा अवरुद्ध रास्ते को खोले जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05—09—2024 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये जिस पर दिनांक 20—09—2024 को अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रकरण की सम्यक नकल अपीलान्ट को

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

उपलब्ध करवाई जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की नकल दिये बिना अपीलान्ट को जवाब देही का सम्यक अवसर दिये बिना ही दिनांक 20–09–2024 की आदेशिका में सात दिवस का अवसर प्रदत्त करते हुये अपीलान्ट की आपत्ति को जवाब मानते हुये दिनांक 29–09–2024 को प्रकरण का अन्तिम निरतारण करने पर आमादा थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 251 के अन्तर्गत किसी अवरूद्ध रास्ते को खोलने का प्रथम क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनकर एवं निर्णित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। धारा 251 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी भूमि में कोई रास्ता अवरूद्ध हो सर्वप्रथम सुनवाई का क्षेत्राधिकार सक्षम ग्राम पंचायत को होता है। जिसका क्षेत्राधिकार की अवधि 45 दिवस की होती है। 45 दिवस में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार को प्रकरण प्रेषित किया जाता है अथवा वैकल्पिक तौर पर रास्ते के सम्बंध में प्रकरण बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में चारा जोही की जा सकती है। अपीलाधीन कृषि भूमि के राजस्व नक्शे में कोई रास्ता तरमीम नही है तथा वर्तमान जमाबंदी में 31 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो समस्त रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को मुकंदमा फरीक बनाया गया ओर ना ही समस्त रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदत्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण नोन ज्वाईडर/मिस ज्वाईडर ऑफ नैसेसरी पार्टी के नुक्स से ग्रसित था। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उप जिला मजिस्ट्रेट कि0 रेनवाल जिला जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 93/2024 उनवानी मोहन लाल बनाम दुर्गाप्रसाद विचाराधीन है। विचाराधीन वाद विभाजन एंव प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में स्वंय अधीनस्थ न्यायालय किशनगढ तहसीलदार पक्षकार संयोजित है। यदि उक्त अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता निकाला जाता है तो विभाजन के बाद में पारित निर्णय विरोधाभाषी होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05–09–2024 को दर्ज होने तथा अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर जरिये अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विधिक आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त विधिक प्रार्थना पत्र को निरतारित किये बिना ही अग्रीम कार्यवाही की जा रही है जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23–09–2024 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतू आवेदन प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को दिनांक 23–09–2024 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर मि.सं. 01/2019 बउनवानी दुर्गादास वगैरह बनाम मदन लाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–09–2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 5, स्थगन प्रा0 पत्र, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के मु0सं0 1/2024 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी खाता संख्या 287 संवत 2076, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के प्रकरण संख्या 93/24 की प्रति पेश की है।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 4 एवं 6 लगा0 8 उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपील के संदर्भ में रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित है कि प्रार्थीगण दुर्गा प्रसाद, बीरबल, कैलाश, अशोक पुत्र श्योबक्श स्वामी निवासी 430, बेगोलाई की ढाणी, ग्राम बधाल तथा जैसाराम दत्तक पुत्र बालाबक्श, केशव कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद जाति स्वामी निवासी बधाल द्वारा पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बधाल के ख0नं0 820 में प्रार्थीगण के घर आने-जाने के रास्ते को अप्रार्थीगण मदनलाल पुत्र जीवनदास, मोहनलाल पुत्र जीवनदास, चन्द्रशेखर पुत्र मदनलाल जाति स्वामी निवासी बधाल द्वारा बंद कर तारबन्दी कर दी जिससे आवागमन बाधित हो गया एवं घर पर जल आपूर्ति के टैंकर, पानी के कैम्पर, सब्जियों के वाहन नहीं आ पा रहे हैं तथा अन्य रोजमर्रा की जरूरत के सामान लाने के लिए भी रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ लिखित पंजीकृत समझौता पत्र भी प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के पिता जीवणदास ने 4 फुट का रास्ता प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु छोड़ा था जिसको उनके पुत्र बंद नहीं कर सकेंगे। प्रकरण में मय पटवारी के मौका देखा गया। मौका देखने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा चालू रास्ते की भूमि पर पट्टीयां गाडकर तारबन्दी कर रखी है। अतः अप्रार्थीगण मदनलाल पुत्र जीवनदास, मोहनलाल पुत्र जीवनदास, चन्द्रशेखर पुत्र मदनलाल जाति स्वामी निवासी बधाल के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब हेतु समय चाहे जाने पर अप्रार्थीगण को 07 दिवस का समय दिया गया जिसके उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.09.2024 को जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त चालू रास्ते को बंद करने का कोई साक्ष्य / सबूत पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण मोहन स्वामी के पुत्र हितेश स्वामी द्वारा दिनांक 22.09.2024 को नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 23.09.2024 को ही नकल सुपुर्द की गई। प्रकरण में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु उचित समय / अवसर दिया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत् रास्ता खुलवाने की नियमानुसार कार्यवाही जैरकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 भू धारक को उसके मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का आनंद लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच उपरान्त उपचार प्रदान करती है। प्रकरण में उक्त धारा के तहत् नियमानुसार कार्यवाही जैरकार है। अप्रार्थीगण को उचित समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा एवं जैरकार बाद की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

पत्रावली दासते बहस नीयत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 820 में अवरुद्ध रास्ते को खोले जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की नकल दिये बिना अपीलान्ट को जवाब देही का सम्यक अवसर दिये बिना ही दिनांक 20-09-2024 को आदेशिका में सात दिवस का अवसर प्रदत्त करते हुये अपीलान्ट की आपत्ति को जवाब मानते हुये निर्णय पारित करने पर

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

ामदा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि केसी भूमि में कोई रास्ता अवरूद्ध हो सर्वप्रथम सुनवाई का क्षेत्राधिकार सक्षम ग्राम पंचायत को होता है। 45 दिवस में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार को प्रकरण प्रेषित किया जाना चाहिए थी। अपीलाधीन कृषि भूमि के राजस्व नक्शे में कोई रास्ता तरमीम नही है। वर्तमान जमाबंदी में 31 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर प्रकरण की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल के मि.सं. 01/2019 बउनवानी दुर्गादास वगैरह बनाम मदन लाल व अन्य में निर्णय दिनांक 05–09–2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक भू0अ0/जी–3/प–174/99/4118–4149 दिनांक 11.06.1999 की प्रति पेश की है।

रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नंबर 820 में कुल 31 खातेदार हैं जिसमें कुटान का रास्ता नहीं है एवं सभी हिस्सेदार आपसी सहमति से बने हुए रास्तों का वाहनों एवं आवाजाही के लिए प्रयोग करते आये हैं। विगत लगभग 26 वर्षों से आपसी सहमति से 8 फीट का रास्ता आवाजाही एवं वाहनों के लिए रखा हुआ था। किन्तु अपीलांट्स द्वारा तारबंदी कर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया, जिससे रोजमर्रा की जरूरत का सामान एवं अन्य वाहनों की आवाजाही अवरूद्ध होने पर सरपंच ग्राम पंचायत बधाल को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। परन्तु सरपंच द्वारा प्रा0 पत्र लेने से इन्कार करने पर न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल में रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल मय पटवारी के मौका देखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर पट्टीयां गाडकर तारबन्दी करने का तथ्य सामने आया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स उपस्थित हुए। जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने हेतु कार्यवाही जैरकार है। अतः अपीलान्ट की अपील मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के नोटिस दिनांक 05.09.2024 के विरुद्ध विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है अपितु पक्षकारान को केवल नोटिस जारी किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित नहीं होने की स्थिति मे प्रकरण अपीलीय स्टेज पर नहीं है।। मूल रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.09.2024 को स्वयं उपस्थित हुए तथा 20.09.2024 को अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 12.09.2024 को अपीलार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया जा चुका था, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को क्षेत्राधिकार संबंधि तथा अन्य आपत्तियां तहसीलदार के समक्ष दायर प्रकरण में की जानी चाहिए।

मदनलाल बनाम दुर्गाप्रसाद वगै0

43 / 2024

विवादित रास्ता पंचायत की आबादी भूमि में नहीं है अपितु कृषि भूमि में स्थित होने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज कर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करने से कार्यवाही दूषित नहीं होती है। धारा 251 भू–धारक को उसके मार्गाधिकार एवं सुखाचार हेतु उपचार प्रदान करती है, जिसमें रास्ता कटान में होना आवश्यक नहीं है। धारा 251 सुखाचार से संबंधित है। अतः तहसीलदार द्वारा नियमों के अधीन प्रकरण दर्ज कर न्यायिक कार्यवाही की गई है। लिखित समझौता पत्र एंव बेचान पत्र दिनांक 27 / 05 / 98 के अनुसार उभयपक्ष द्वारा 4–4 फुट रास्ता छोडा गया था तथा चालू रास्ते को बन्द नहीं करने की सहमति अनुसार सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गये थे। तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करने पर उक्त चालू रास्ते को बन्द कर आवागमन बाधित किया गया जो उक्त सहमति पत्र का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मि0सं0 01 / 2024 उनवानी दुर्गादास वगै0 बनाम मदनलाल प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15 / 05 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर